उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-38/3432/26-1-2013-11(सक)/टीसी-1

लखनऊ : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को विभागीय योजनाओं यथा शुल्क प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत धनराशि के आहरण एवं वितरण में अनियमितता बरतने सहित कतिपय अन्य अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3126/26-1-2012-11(सक)/2012, दिनांक 27-09-2012 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी।

2- श्री कन्हैयालाल गुप्ता ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07-11-2013 द्वारा वेतन का 3/4 भाग जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी 01 वर्ष से अधिक समय से निलम्बित है तथा उसके द्वारा आरोपों का उत्तर मई, 2013 में जॉच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

अत: सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2-106/दस-534(80)-69, दिनांक 21-08-1981 में निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को मूल वेतन का 75 प्रतिशत अर्थात 3/4 भाग जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

राम गोपाल मौर्य,
विशेष सचिव।

पृ0सं0-38/3432(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
4- कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर/लखनऊ।
5- श्री कन्हैयालाल गुप्ता, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर (निलम्बित) सम्बद्ध निदेशालय समाज कल्याण (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ)।
6- गार्ड फाइल/इंटरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in